04.9.25 उभ० पक्ष उपस्थित प्रार्थना आंशिक स्वीकार
किया जाकर विस्तृत निर्णय शामिल
मिसल किया गया नंबर से खारिज हो।

आदेश सुनाया गया

GCMS
2025/75

BL

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.15 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(पीठासीन अधिकारी :– भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)
सीताराम बनाम किशनाराम व अन्य
किस्म मुकदमा:–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–23/2025 (GCMS No. 2025/75)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री शिशपाल शर्मा ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01–02 ही एक परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 सगे भाई है। दावा में प्रतिवादी संख्या 3–4 प्रार्थी की सगी बहने है तथा अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का पिता है। प्रार्थीगण का परिवार हिन्दु विधि की मिताक्षर शाखा से शासित होता है तथा अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 2 बीपीएम की जमाबंदी सम्वत् 2076 ता 2079 के खाता नं. 43/30 की कुल 0.912 हैक्टर कमाण्ड भूमि में 2/9 हिस्सा यानि 0.203 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि, चक 2 बीपीएम की जमाबंदी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता सं. 4 के पत्थर नं. 213/14 (23) के किला नं. 14 ता 16 में 0.759 हैक्टर कमाण्ड में 508/6831 हिस्सा यानि 0.056 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि, खाता संख्या 17/14 के पत्थर नं. 213/6 (22) के किला नं. 6–15 में 0.506 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी, खाता संख्या 16/13 के पत्थर नं. 213/6 (22) के किला नं. 4–5 में 0.506 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर नं. 213/14 (23) के किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्टर कमाण्ड व किला नं. 2–3 में 0.506 हैक्टर कमाण्ड कुल 1.240 हैक्टर खातेदारी भूमि तथा चक 5 ए.पी. की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता नं. 35/24 के पत्थर नं. 13/7 (17) के किला नं. 21/1 में 0.202 हैक्टर कमाण्ड व किला नं. 22/2 में 0.202 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 0.404 हैक्टर रकबा में 1/8 हिस्सा में 0.050 हैक्टर खातेदारी भूमि इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 2.055 नहरी रकबा खातेदारी दर्ज है। उक्त समस्त रकबा अप्रार्थी संख्या–01 को प्रार्थी के दादा नानुराम का पैतृक प्राप्त रकबा है। इस रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या–1 के समान उसके वारिसान को समस्त हक प्राप्त है। प्रार्थी व अप्रार्थी का परिवार संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में रहते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार के जीवन यापन के लिये परिवार के कर्ता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 1 एचडब्लयूडी के खाता संख्या 75/40 के पत्थर नं. 233/61 (72) के किला नं. 19/0.253, किला नं. 22/2, 23/2, 24/1, 25/1, प्रत्येक में 0.228 हैक्टर अ0क0 इस प्रकार कुल 1.165 हैक्टर अ0क0 व पत्थर नं. 233/62 (91) के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में प्रत्येक 5.060 हैक्टर अ0क0 इस प्रकार दोनो पत्थरजात में 6.225 हैक्टर अ0क0 रकबा आवंटन नियम 1975 के नियमों में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–01 को आवंटन हुआ है। उक्त रकबा भी पैतृक श्रेणी में आता है। चक 2 बीपीएम व 5 एपी का रकबा जो प्रार्थी के दादा–पड़दादा का रकबा है। जो उनके फौत हो जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाईयों को विरासतन प्राप्त हुआ व अप्रार्थी संख्या 1 का उसके भाईयों के साथ खाता विभाजन हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुआ। चक 1 एचडब्लयूडी का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से प्रार्थी व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार का कर्ता होने से आवंटन है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1–2 के संयुक्त परिवार के द्वारा ही इस रकबा की किश्ते जमा करवाई थी व जैरे रकबा को कड़ी मेहनत से काबिल काश्त बनाया है। उक्त जैरे प्रकरण रकबा में प्रार्थी व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 यानि अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र/पुत्रियों का अप्रार्थी संख्या–1 के समान हिस्सा बनता है। प्रार्थी की बहने यानि दावा में प्रतिवादी संख्या 3–4 इस रकबा में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। इसलिये उक्त रकबा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1–2 का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 02	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.15 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04.09.2025

कहने में है तथा थोड़ा–थोड़ा रकबा भी बेचान कई बार कर दिया है। अप्रार्थी संख्या–1 ने यदि अपने नाम अंकित रकबा बेचान कर दिया तो प्रार्थी को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी–1 को पाबंद किया जावे की वे वाद पत्र के निर्णय तक जैर प्रकरण रकबा को बेचान, दीगर तरीके से हस्तातंरण ना करें व दान पत्र, वसीयत आदि ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित रकबा गैर खातेदार श्रेणी का है, जो कि उसका स्वअर्जित रकबा की श्रेणी में आता है। जिसमें प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार के हित सर्जित नही होते हैं। प्रार्थी का जैर प्रकरण रकबा पर कब्जा काश्त नही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 रकबा का अंकित खातेदार हैं। उसे अपने रकबा का पूर्ण उपयोग व उपभोग करने का हकदार है। प्रार्थी का 1/3 हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी द्वारा गलत कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रिया यानि दावा में प्रतिवादी संख्या 3–4 ने अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग किया है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहनों को स्थगन प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन जो रकबा प्राप्त हुआ है उसमें प्रत्येक का हिस्सा बनता है। प्रार्थी का 1/5 हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रार्थी का 1/3 हिस्सा की हद तक प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है व ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र कानून के विपरित प्रस्तुत होने से निरस्त किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त रकबा में उसने स्वयं से प्रार्थी का हिस्सा 1/5 देने पर कोई आपत्ति दर्ज नही की है। किन्तु अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा चक 1 एचडब्लयूडी में आवंटित रकबा स्वअर्जित बताया है। चक 1 एचडब्लयूडी का रकबा राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार अंकित है। खातेदार दर्ज होने से पूर्व अप्रार्थी संख्या–1 को इस रकबा के बेचान का अधिकार सृजित नही होता है। उक्त रकबा में प्रार्थी का हक–हिस्सा है या नही? यह दावा में पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त तय किया जाना है। प्रार्थी ने जैर प्रकरण रकबा में 1/3 हिस्सा बताया है। दावा में अंकित प्रतिवादी संख्या 3–4 द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग करना अंकित किया है। किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे उनके कथन को बल प्राप्त हो सके। इसलिये प्रार्थी का 1/5 हिस्सा प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। इसलिये प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–01 को पाबंद किया जाता है कि वे वाद पत्र के निर्णय तक तहसील सूरतगढ़ के चक 2 बी.पी.एम. की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 43/30, 04, 17/14, 16/13 तथा [illegible] एपी के खाता संख्या 35/24 में अंकित अपने हिस्सा में से 1/5 हिस्सा तथा [illegible] 1 एचडब्लयूडी की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 75/[illegible] 6.225 हैक्टर अ0क0 भूमि में से 1/5 हिस्सा को रहन, बेचान एवं अन्य तरीके से हस्तातंरण ना करें। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.15 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested